प्रकरण संख्या 60/18 2018/00100 ता0रजू 17.12.2018

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

कृष्णाबाई जैन आश्रम (श्री दिगम्बर जैन मुमुक्षु महिला आश्रम) श्रीमहावीरजी जरिय व्यवस्थापितका लक्ष्मीबाई जैन पुत्री श्री महावीर प्रसाद जैन निवासी कृष्णा बाई जैन आश्रम (श्री दिगम्बर जैन मुमुक्षु महिला आश्रम) श्रीमहावीरजी — प्रार्थी

बनाम

1. निरंजन पुत्र पुखराज जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर, श्रीमहावीरजी, तहसील हिण्डौन जिला करौली
2. जिला कलक्टर करौली
3. चौथमल पुत्र रतनलाल जाति महाजन निवासी अकबरपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली
4. रामभरोसी पुत्र कजोडमल महाजन निवासी अकबरपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली
5. किरोडी पुत्र श्री रामप्रसाद जाति ब्राहाण निवासी अकबरपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली
6. श्रीमान् एस.डी.ओ. साहब करौली

— अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 24 व दफा 151 जाप्ता दीवानी

निर्णय

दिनांक—04.09..2019

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि दावा उनवानी निरंजन बनाम स्टेट, मु.नं. 80/11 एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 64/11 पूर्व में एस.डी.ओ. हिण्डौन के यहां विचाराधीन था, पूर्ववर्ती उपखण्ड अधिकारी के विरूद्ध उक्त प्रकरण में ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाई गई थी, जिसके आधार पर उपरोक्त उनवानी दावा व प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा हिण्डौन एस.डी.ओ. के यहां से करौली एस.डी.ओ. के यहां ट्रांसफर किये गये थे, जो वर्तमान में एस.डी.ओ. साहब करौली के यहां विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी 22.10.2018 नियत है। उपरोक्त दावे का क्रॉस मुकदमा उनवानी श्री दिगम्बर जैन महिला मुमुक्षु आश्रम बनाम निरंजन वगै. दावा मु.नं. 178/11 एवं प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 120/11 वर्तमान में एस.डी.ओ. हिण्डौन के यहां विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी 25.10.2018 नियत है। उक्त दोनो दावे व प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा एक ही आराजी खसरा नं. 2325 रकबा 1.07 हैक्टेयर वाकेतन ग्राम अकबरपुर, तहसील हिण्डौन के संबंध में है, जिसके दो अलग—अलग दावे दो अलग—अलग न्यायालयों में विचाराधीन है जिसके कारण परस्पर विरोधाभासी निर्णय पारित होने की संभावना है, न्यायहित में उक्त दोनों प्रकरणों की एक ही न्यायालय में सुनवाई की जाकर निर्णीत किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है। पक्षकारान ग्राम अकबरपुर श्रीमहावीरजी के निवासी हैं तथा वादग्रस्त सम्पत्ति ग्राम अकबरपुर श्रीमहावीरजी में स्थित है, इसलिए उक्त दोनों प्रकरण एस.डी.ओ. हिण्डौन द्वारा सुनवाई कर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। पक्षकारों को आने जाने में भी नजदीक होने के कारण सुविधा रहेगी। संस्था श्री दिगम्बर जैन महिला मुमुक्षु के पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव श्री प्रकाश चन्द जैन अधिकाशंतः मुम्बई रहते है तथा कभी—कभार आश्रम को संभालने श्रीमहावीरजी आते है। आश्रम की समस्त देखरेख की जिम्मेदारी व्यवस्थापिका लक्ष्मीबाई जैन पर है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

जिला कलक्टर
करौली

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वकील अप्रार्थी नं. 1 ने जवाब पेश न कर सीधे बहस करना चाहा।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि दावा उनवानी निरंजन बनाम स्टेट, मु.नं. 80/11 एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 64/11 पूर्व में एस.डी.ओ. हिण्डौन के यहां विचाराधीन था, पूर्ववर्ती उपखण्ड अधिकारी के विरूद्ध उक्त प्रकरण में ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाई गई थी, जिसके आधार पर उपरोक्त उनवानी दावा व प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा हिण्डौन एस.डी.ओ. के यहां से करौली एस.डी.ओ. के यहां ट्रांसफर किये गये थे, जो वर्तमान में एस.डी.ओ. साहब करौली के यहां विचाराधीन है। उपरोक्त दावे का क्रॉस मुकदमा उनवानी श्री दिगम्बर जैन महिला मुमुक्षु आश्रम बनाम निरंजन वगै. दावा मु.नं. 178/11 एवं प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 120/11 वर्तमान में एस.डी.ओ. हिण्डौन के यहां विचाराधीन है। उक्त दोनो दावे व प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा एक ही आराजी खसरा नं. 2325 रकबा 1.07 हैक्टेयर वाकेतन ग्राम अकबरपुर, तहसील हिण्डौन के संबंध में है, जिसके दो अलग–अलग दावे दो अलग–अलग न्यायालयों में विचाराधीन है जिसके कारण परस्पर विरोधाभासी निर्णय पारित होने की संभावना है, न्यायहित में उक्त दोनों प्रकरणों की एक ही न्यायालय में सुनवाई की जाकर निर्णीत किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है। पक्षकारान ग्राम अकबरपुर श्रीमहावीरजी के निवासी हैं तथा वादग्रस्त सम्पत्ति ग्राम अकबरपुर श्रीमहावीरजी में स्थित है, इसलिए उक्त दोनों प्रकरण एस.डी.ओ. हिण्डौन द्वारा सुनवाई कर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। पक्षकारों को आने जाने में भी नजदीक होने के कारण सुविधा रहेगी। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

वकील अप्रार्थी नं. 1 का बहस में कथन है कि पूर्व में प्रार्थी के द्वारा ही मुकदमा को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करौली में अंतरित करवाया गया था। अब पुनः प्रार्थी ही उक्त मुकदमों को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन में अंतरित करवाना चाहता है। इससे ऐसा विदित होता है कि प्रार्थी उक्त मुकदमों की सुनवाई नहीं होने देना चाहता है व मुकदमों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब कर रहा है। साथ ही अपीलार्थी न्यायालय का श्रम व समय को व्यर्थ नष्ट कर रहा है। अब जब पत्रावली वास्ते अंतिम जवाब के स्तर पर आ चुकी हैं तब प्रार्थी जवाब पेश न करके प्रकरणों को अंतरित करवाना चाहता है, यह न्यायोचित नहीं है। यदि प्रार्थी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करौली में विचाराधीन प्रकरणों की एक ही न्यायालय में सुनवाई करवाना चाहता है तो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन में विचाराधीन मुकदमों को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करौली में भी अंतरित करवा सकता है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाये जाने का कथन किया है।

हमने बहस उभय पक्षकारान व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। एक ही आराजी खसरा नं. 2325 रकबा 1.07 हैक्टेयर बाके ग्राम अकबरपुर, तहसील हिण्डौन के संबंध में दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा तथा क्रॉस दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दो अलग–अलग न्यायालयों, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करौली में विचाराधीन है जिनमें परस्पर विरोधी निर्णय पारित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः दोनों ही मुकदमों की सुनवाई एक ही न्यायालय में किया जाना उचित है। दोनों ही पक्षकारान हिण्डौन उपखण्ड क्षेत्र के ही निवासी हैं एवं प्रकरण में विवादित आराजी भी उपखण्ड

जिला कलक्टर
करौली

क्षेत्र हिण्डौन में ही आती है। अतः दोनों ही प्रकरणों की सुनवाई एक ही न्यायालय, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन में किया जाना उचित रहेगा। अतः हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन के दावा संख्या 80/11 एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 64/11 उनवानी निरंजन बनाम स्टेट, जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करौली में विचाराधीन हैं, को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन में अंतरित किया जाता है। उभय पक्षकारान दिनांक 30.09.2019 को सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन में उपस्थित हों। निर्णय की प्रमाणित प्रति उपखण्ड अधिकारी, करौली व उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली